न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या नया :– 11/2016

पुराना :– 128/2001

वादी

1. ठाकराराम पुत्र आईदानराम, जाति विश्नोई,निवासी गडरा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चेनाराम पुत्र आईदानराम
2. हरचन्दराम पुत्र आईदानराम के कायम मुकाम
   (क) किसनाराम पुत्र हरचन्दराम
   (ख) बाबू पुत्र हरचन्द
   (ग) सुवटी बेवा हरचन्द
3. दयाराम पुत्र आईदानराम
4. केसरीमल पुत्र आईदानराम के कायम मुकाम
   (क) जगदीश पुत्र केसरीमल
   (ख) राम प्यारी पुत्री केसरीमल
   (ग) अशोक पुत्र केसरीमल
5. रंगु देवी पुत्री आईदानराम के कायम मुकाम
   (क) जगदीश पुत्र हरीराम,माता रंगू जाति विश्नोई निवासी सोनडी।
6. श्रृंगारी पुत्री आईदानराम जाति विश्नोई निवासी हापू की ढाणी भालनी तह. भीनमाल।
7. लुंगीदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी देवीचन्द निवासी हापू की ढाणी भीनमाल।
8. गंगादेवी पुत्री आईदानराम पत्नी बुधराम जाति विश्नोई निवासी नगर गुड़ामालानी।
9. अमरूदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी रूघनाथ जाति विश्नोई निवासी हापू की ढाणी भीनमाल।
10. प्रबन्धंक भुमि विकास बैंक शाखा धोरीमना।
11. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला बाड़मेर सत्यमेव जयते

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, व 188 काश्तकारी अधिनियम –1955

तारीख रजूः– 31/07/2001

अधिवक्ताः–

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादी

02. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी 01 एवं 03

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

–::निर्णयः:–

दिनांकः– 22/12/23

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,188 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण समस्त मृतक आईदानराम के वारिशान है, तथा पक्षकारान के पिता द्वारा खरीद सुदा खेत खसरा संख्या 296 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा

22/12/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

नव सृजित राजस्व ग्राम गडरा, धारीमना में आया हुआ है। यह खेत मौजुदा समय में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। पूर्व खातेदार मृतक आईदानराम ने यह वादग्रस्त आराजी संवत 2015 में अपने पांचो पुत्रों के लिए खरीदी थी, इस समय पांचों पुत्र व्यस्क नही थे, इस कारण मृतक आईदानराम ने विकय पत्र अपने नाम से निष्पादित करवाया एवं पांचो ही पुत्रो के व्यस्क होने पर संयुक्त रूप से इस वादग्रस्त आराजी पर काबिज हुए। वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 भौतिक रूप से काबिज हो गए एवं प्रत्येक का हिस्सा 1/5, 1/5 हो गया, उसके बाद दिनांक 30.05.1990 को अर्थात संवत 2046 में प्रतिवादी संख्या 2 हरचन्द ने अपना 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा वादी को तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना समस्त हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरित कर ईकरानामा निष्पादित करा दिया। इस प्रकार दिनांक 30.05.1990 को समस्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में आ गई । लेकिन उस समय पक्षकारान के पिता जीवित थे, तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी उनके नाम थी, ऐसी अवस्था में इस हस्तान्तरण का वादीगण के पक्ष में अंकन नही हो सका। लेकिन मैके पर समस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 बहैसियत खातेदार काबिज हो गए। कि पक्षकारान के पिता का देहान्त इस साल हो गया। तब वादी ने पटवारी हल्का को इस समस्त आराजी का नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खोलने की सूचना दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने भी पटवारी हल्का को इस आराजी का नामान्तरण एवं मात्र वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खोलने का कहा, तथा पटवारी ने भी आश्वासन दिय कि वो वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण खोल देगा। क्यों कि वादग्रस्त आराजी पर वास्तविक कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का ही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जब प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने जब उपरोक्त भूमि हस्तान्तरित की थी, उस समय वादग्रस्त आराजी भूमि विकास बैक के पास रहन थी, तथा रहन अवधि की जानकारी हेतु वादी ने पटवारी हल्का से 10दिन पूर्व सम्पर्क किया तो उसने बताया कि वादग्रस्त आराजी खातेदार आईदानराम के समस्त वारिसान अर्थात पांचों पुत्र व पांचों पुत्रीयो के नाम नामान्तरण खोला गया है, तथा अब वादग्रस्त आराजी में 10 खातेदार अंकित हो गए है। इस पर वादी ने अपने भाईयों प्रतिवादी संख्या 2 से 4 से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को दे चुके है, बहनो से सम्पर्क नही हो सका, तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने बताया कि अब इस आराजी के हिस्सा 1/2 पांचो बहनो का हो गया है एवं वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हिस्सा 1/2 , प्रतिवादी संख्या 2से 4 अपना हिस्सा पूर्व में ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को दे चुके है अः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अब हिस्सा 1/2 के अधिकारी रहे है अतः अपने हिस्सा दर्ज कराने की कार्यवाही करे जहां आवश्यकता होगी वे बयान कर देगें। पटवारी हल्का से रेकर्ड की नकले प्राप्त की तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम खतेदार के रूप में अंकित हो जाने से वादी को अपे हक संशमप्रद लगे तथा यह वाद लाने की आवश्यकता पड़ी। बिनायदावा जब प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादग्रसत आराजी में अपने हक वादी को हस्तान्तरित कर दये, तथा पक्षकारान के पिता की फौतगी पर जब प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम वापिस सह खातेदार के रूप में अंकित कर दिया तब बमुकाम गडरा पैदा हुआ। वादग्रस्त आराजी पर वास्तविक कब्जा एक मात्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का है, यह कब्जा शेष भाईयों की सहमति व वादी के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण के आधार पर है, अगर वादग्रस्त आराजी पर वादी का प्रतिकूल कब्जा यानि एडवर्स पजेशन भी मान लिया जाय तो भी प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के हिस्से की आराजी [illegible] खातेदार हो गये है, अतः समूची आराजी में हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करा[illegible] अ[illegible]री है। प्रतिवादी संख्या 5 से 8 वादी की बहने है, उनका संयुक्त रूप [illegible] हिस्सा है जो उनके नाम पर हिन्दू उतराधिकारी के रूप में दर्ज हुआ है, [illegible] सह खातेदार दर्ज होने के कारण उन्हें औपचारिक पक्षकान बनाया है, उनके विरूद्व वादी ने [illegible]ई सहायता नही चाही है। यह वादग्रस्त आराजी मौजा गडरा तहसील धोरीमना में आई है। अतः वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वाद अन्तर्गत धारा 88ए188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत होने के कारण न्यायालय शुल्क रूपये 2/– का स्टाम्प संलग्न है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार कर निम्न प्रकार डिकी बहक वादी जारी कराने की कृपा करावे। कि मौजा गडरा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

22/12/

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

धोरीमना में स्थित खसरा संख्या 296 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा में हिस्सा 1/4 वादी का तथा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 का तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 8 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाये। इस आराजी के राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नाम हटा कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 5 से 8 को इस आराजी का खातेदार अंकित किया गया। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधात्मक पाबन्द किया जाय कि वे वादग्रस्त आराजी के निसफ हिस्से में वादी के काश्त कब्जे में हस्तक्षेप न करे। अन्य जो सहायता दौरान वाद बहक वादी साबित हो वह वादी को दिलाई जाये।

जवाब प्रतिवादी क्रमाक 1 हरचन्दराम पुत्र आईदानराम जाति विश्नोई निवासी गडरा तहसील धोरीमना की ओर से वाद पत्र में वर्णित पद क्रमांक 1 में वर्णित खसरा क्रमांक व रकबा सही व सत्य होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद क्रमांक 2 में वर्णित तमाम प्रकार के तथ्य सही व सत्य होने से स्वीकार है। वाद पत्र में वर्णित पद क्रमांक 3 में वर्णित हिस्से सही व सत्य दर्ज होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद क्रमांक 4 में वर्णित हिस्से व अन्य तमाम प्रकार के तथ्य सही व सत्य होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद क्रमांक 5 कानूनी होने से जवाब देने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का पद क्रमांक 6 कानूनी होने से जवाब देने की आवश्यकता नही हे। वाद पत्र का पद क्रमांक 7 कानूनी होने से जवाब देने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का पद क्रमांक 8 कानूनी होने से जवाब देने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का पद क्रमांक 9 कानूनी होने से जवाब देने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र के पद क्रमांक 10 में वर्णित वादीगण की हस्तदुआ सही व सत्य होने से स्वीकार है। मौजा गडरा तहसील धोरीमना में स्थित खेत संख्या संख्या 296 रकबा 67 बीघा 1 बिस्वा में 1/2 हिस्सा वादीगण क्रमांक 1 व वादीगण क्रमांक 2 का खातेदारी में घोषित किया जावें। वादीगण 1/2 हिस्सा जमीन घोषित कर वादीगण को अलग से पास बुक जारी करवाई जावें। कि इस आराजी के राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादीगण क्रमांक 1से 3 का नाम हटाकर वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 4 से 8 को इस आराजी का खातेदार अंकित किया जावें।

जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रतिवादीगण चैनाराम, देरामाराम, केसरीमल पुत्र आईदानराम जाति विश्नोई निवासी गडरा, तहसील धोरीमना की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र का पद संख्या 1 औपचारिक है। वाद पत्र का पद संख्या 2 का जवाब यह है कि प्रतिवादीगण को उक्त खेत खरीदने का तथ्य का ज्ञान नही है परन्तु इतना जरूर ज्ञान है कि यह खेत संख्या संख्या 296 रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा , मौजा गडरा को मुतवफी नरीगाराम की अपनी पैतृक सम्पति एवं मिलकियत का है जो पूर्वजों की पीढीयों का खेत है। शेष पद औपचारिक है।वाद पत्र का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है, मुतवफी आईदानराम के सभी वारिशान का हक हिस्सा, एवं खातेदार बराबर–बराबर है तारीख 30.05.1990 को वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के द्वारा निष्पादित किसी ईकरानामा ने निष्पादित नही किया है। यदि वादी ने ऐसा कोई ईकरानामा वादी के पक्ष में निष्पादित करवाया है तो वह ईकरानामा झूठा फर्जी और छलकपट से तैयार किया गया जाली दस्तावेज है जो प्रभावहीन एवं शुन्य है। जिसका प्रतिवादीगण के उपर कोई प्रभाव नही है। मौके पर कब्जा काश्त पैतृक सम्पति में सभी का समान है। वाद पत्र का पद संख्या 4 का जवाब यह है कि वादी के पिता का देहान्त होने का तथ्य सही है। परन्तु नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 चैनाराम अकेले के नाम भरवाने की बात झूठी एवं मनगढन्त है तथा पैतृक एवं विरासत में मिली मिलकियत का खातेदार के कब्जा कब्जा कानून ... है फिर भी सभी सह खातेदार का कब्जा काश्त समान रूप से शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वाद पत्र का पद संख्या 5 में जवाब यह है कि वादी एवं प्रतिवादी चैनाराम के पक्ष में अन्य प्रतिवादीगण ... कब्जा हस्तान्तरण की बात झूठी है किसी प्रकार का प्रतिवादीगण द्वारा हस्तान्तरण नही हुआ है। मुतवफी आईदान के वारिशान की भूमि विरासत में मिली है। शेष पद का प्रतिवादीगण को कोई ज्ञान नही होने से अस्वीकार है। वाद पत्र का पद संख्या 6 बिनाय दावा गलत होने से अस्वीकार है बिना दावा किस तारीख एवं किस स्थान पर पैदा हुआ जिस उल्लेख के अभाव में प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई बिना दावा पैदा नही हुआ है। वाद पत्र का पद संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र का पद संख्या 8 औपचारिक हे। वाद पत्र का पद संख्या 9 औपचारिक है। वाद पत्र का पद संख्या 10 औपचारिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

22/12/23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

है।वाद पत्र का पद सख्या 11 वादी गलत होने से अस्वीकार है और इस्तदुआ के विपरित वाद पेश किया गया है जो वादी ने बहकावे में आकर पैतृक सम्पति की भूमि छलकपट के आधार पर वाद पेश किया है। ।जे वाद चलाने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज योग्य है और वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। जिससे वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे। वादी ने वाद पत्र गलत शीर्षक से पेश किया है, वादी ने वाद पत्र के शीर्षक में उपखण्ड अधिकारी एस.डी.ओ. गुड़ामालानी के न्यायालय में न्यायालय के नाम से पेश किया है, उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सैडुयल 3 के अनुसार सुनने एवं विचारण का क्षेत्राधिकार नही है और क्षेत्राधिकार के अभाव में वादी का वाद पत्र प्रथमदृष्टाया चलने योग्य नही है। और काबिज खारिज है। वादी ने वादपत्र पैतृक सम्पतियों खातेदारी घोषणा का पेश किया है जिसमें पैतृक सम्पति में मृतक के सभी वारिशान का हक हिस्सा जन्म से होता है जो समान होता जिसके प्राप्त खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा किसी वाद के आधार से विलोपित तथा खारिज नही किया जा सकता है। वादी ने फर्जी ईकरारनामा के आधार पर जो ईकरारनामा छलकपट के आधार पर धोखे से तैयार किया गया हो सकता है। जो शुन्य एवं अवैध एवं निष्प्रभावी है जिस ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिकी राजस्व न्यायालय से प्राप्त नही की जा सकती है। और राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार का नही होने से काबिल खारिज है। वादी का वाद पत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विचारण की तारीख में आता है। क्यों कि तथाकथित ईकरारनामा को वादी सिविल न्यायालय से ही वैद्य घोषित करवा सकता है। जिससे वादी का यह वाद काबिल खारीज है। वादी ने यह वाद कानून प्रकिया के विरूद्व और गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा पेश कर प्रतिवादीगण की विरासत में मिली भूमि हड़पने के लिये एवं नाहक परेशान की नियम से झूठावाद पेश किया है। जिसमें वादी को सफलता एवं डिकी प्राप्त करने की कोई संभावना नही है। इसलिए प्रतिवादीगण वादी से विशेष हर्जाने के 3000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है। मौजा गडरा तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 296 रकबा 67 बीघा 1 बिस्वा में वादी 1/4 हिस्सा की घोषणा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी केवल 1/10 हिस्सा का सहखातेदार है और वादी 1/10 हिस्सा की डिकी जारी करवाने का अधिकारी है जिससे वादी का वाद बढा चढा कर भूमि हड़पने के लिए एवं छलकपट से कानून के विपरित डिकी प्राप्त करने का वाद पेश किया है जो सिद्व नही होने से काबिल खारिज है।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा विवाद्यक विरचित किये जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी के दौरान वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मौजा गडरा पटवार क्षेत्र धोरीमना की जमाबन्दी सवत् 2055 –58 खाता संख्या 02 खसरा संख्या 296 रकबा 67–01 बीघा किस्म बारानी सोयम को प्रदर्श 01 अंकित किया गया एवंम इकरारनामा को प्रदर्श 02 प्रदर्शित किया गया तथा वादी ठाकराराम पुत्र आईदानराम के बयानों को पी.डब्ल्यू. 01 तथा गवाह सूखराम पुत्र जसवंताराम के बयानों को पी.डब्ल्यू.02 अंकित किया गया। साक्ष्य वादी ओर अधिक पेश नही करने पर पत्रावली पर साक्ष्य वादी को बदं किया जाकर प्रकरण को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया, साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया तथा इनके बयानों को डी.डब्ल्यू.01 से 05 अंकित किया गया प्रतिवादीगण द्वारा ओर अधिक साक्ष्य पेश नही करने पर पत्रावली पर साक्ष्य प्रतिवादी को बंद किया गया तथा पत्रावली को अतिंम बहस में नियत किया गया। हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को विस्तार पूर्वक सुनकर उस पर मनन कियां। दौराने बहस [illegible] वादी द्वारा नजीर के रूप में सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा [illegible] को पेश किया [illegible] सम्मान पूर्वक अध्ययन करके मार्गदर्शी सिघ्दान्त रूप में उपयोग किया। [illegible] विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करना विधिसंगत समझते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

(1) मौजा–गडरा (धोरीमना) के खेत खसरा संख्या 296 रकबा 67–01 बीघा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा होने से वह 1/4 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है?

–जिम्मे वादी–

22/12/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। वादी द्वारा वादपत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा–गडरा(धोरीमना) के खसरा संख्या 296 रकबा 67–01 बीघा किस्म बारानी सोयम वादी एवं प्रतिवादी के पिता आईदानराम द्वारा सवत् 2015 में खरीदसुदा है जिसे आईदानराम द्वारा पांचो पुत्रों के लिए खरीदा था। उस समय पांचो पुत्र अवयस्क थे, इसलिए आईदान ने विकय पत्र अपने नाम से निष्पादित करवाया। दिनांक 30.05.1990 को सम्वत् 2046 में प्रतिवादी संख्या 2 हरचंद ने अपना 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को एवं प्रतिवादी संख्या 03 ने अपना हिस्सा वादी को तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तांतरित जरिये ईकरारनामें से कर दिया। दिनांक 30.05.1990 को निष्पादित इकारारनामें के आधार समस्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे–काश्त में आ गई, लेकिन उस समय (30.05.1990) को पक्षकारान् के पिता जीवित थे एवं वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में उनके नाम खातेदारी में थी, ऐसी अवस्था में आराजी का हस्तांतरण नही हो सका लेकिन मौके पर समस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 बहैसियम खातेदार काबिज हो गये। पक्षकारान के पिता आईदान की फौतगी पर पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन पांचो पुत्रों एवं पांचों पुत्रियों के नाम से खोला जाकर राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 द्वारा अपनी–अपनी हिस्से की आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में जरिये इकारारनामें से हस्तांतरित कर देने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 05 व 08 का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित होने के कारण वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01,03,04 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 296 रकबा 67–01 बीघा आराजी में आईदान के सभी वारिसानों का समान हक हिस्सा है एवं दिनांक 30.05.1990 को प्रतिवादीगण द्वारा कोई ईकारारनामा निष्पादित नही किया गया। उक्त ईकरारनामा झूठा,फर्जी,छलकपट से तैयार किया गया जाली दस्तावेज है जो प्रभावहीन एवं शून्य है जिसका प्रतिवादीगण के उपर प्रभाव नही है, अपने जवाबदावें में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है जो सभी पक्षकारों को विरासत में प्राप्त हुई है।

प्रतिदावे में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया कि वादी ने वादपत्र इकारारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय "सहायक कलक्टर" में संस्थित किया है जबकि इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है बल्कि ऐसे वाद सिविल न्यायालय में विचारणीय है अतः उक्त वादपत्र को खारिज किया जावे।

हमने हस्तगत वादपत्र के साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2055–2058 मौजा –गडरा (धोरीमना) के खसरा संख्या 296 रकबा 67–01 बीघा किस्म बारानी सोयम प्रदर्श–01 का अध्ययन किया। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी आईदान वल्द नरींगा कौम–विश्नोई के नाम दर्ज है, नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 09.05.2001द्वारा आईदान की फौतगी पर हरचंदराम, केसरीमल, ठाकराराम, दमाराम, चेनाराम पिता आईदान, रंगूदेवी, श्रृंगारीदेवी, लूंगादेवी, गंगादेवी, अमरूदेवी पुत्रीयां आईदान के नाम दर्ज किया गया। हमने प्रदर्श–02 इकरारनामा दिनांक 30.05.1990 का अध्ययन किया। उक्त इकारारनामें के संबंध में हमारा यह विनम्र अभियत है कि उक्त इकरारनामा अपंजीकृत है एवं ऐसे अपंजीकृत ईकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय हाजा (सहायक कलक्टर) की अधिकारिता/क्षेत्राधिकार से वर्जित है इसके संबंध में हम यहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनूसूची एंव धारा 207 का उल्लेख करना उचित समझते है।

(क) धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 "केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन" :–

(1) तृतीय अनुसूची के विनिर्दिष्ट प्रकार के सब वाद और आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने और अवधारित किए जाएंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

22/12/23

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

(2) राजस्व न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद या आवेदन का या ऐसे वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद या आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है, संज्ञान नहीं करेगा।

तृतीय अनुसूची
अधिनियम के अधीन वाद, आवेदन और अपीलें
(धारा–307, 214, 215 और 217 देखिए)

क्र. सं.	अधि. की धारा	वाद, आवेदन या अपील का विवरण	परिसीमा की कालावधि	वह समय जिससे कालावधि व्यतीत होना आरंभ होती है।	समुचित न्यायालय फीस	निपटारा करने के लिए सक्षम न्यायालय/अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
5	88	वादी के अधिकारों की घोषणा के लिए वाद। 1. अभिधारी के रूप में या 2. खुदकाश्त अभिधारी के रूप में या 3. संयुक्त अभिधृति में अंश हेतु	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलक्टर
8	91	किसी अन्य अधिकार की घोषणा के लिए वाद	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	सहायक कलक्टर
23 ग	188	शाश्वत व्यादेश के लिए वाद	तीन वर्ष	जब वाद हेतुक प्रोद्भूत हुआ	एक रुपया	सहायक कलक्टर

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–207, 256 व तृतीय अनुसूची में उपबंधित विधिक प्रावधानों के अनुसार इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय नही हैं बल्कि इकरारनामें के आधार पर सुनने का अधिकार केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को हैं।

ईकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विचारण शुरू ही नही किया जा सकता है। क्योंकि इकरारनामें के आधार पर विचारण करना न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार में नही है ईकरारनामें के प्रकरण Specific performance act के अंतर्गत सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा श्रवणीय होते है अतः इकरारनामें के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना उचित एवम विधिसंगत नही है। साथ ही वादी द्वारा वादपत्र में कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी आईदान द्वारा खरीदी गई है लेकिन इस संबंध में वादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया ।

वादी द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का ही है। अतः वादी का वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा अर्थात् एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार है उक्त कथन के संबंध में हम यहां पर "प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करना उचित समझते है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

(क) आर आर डी 2016 पेज 464/ चैनाराम और अन्य विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य–

माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते हैं।

(ख) आर आर डी 2016 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम/पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2016–

22/12/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

इस निर्णय में माननीय राजस्व मंडल ने अभिनिर्धारित किया है कि–

"Rajasthan Tenaney Act does not have provision to counter tenancy right to adverse possessor. This Bench also intes that providing tenancy right to adverde possessor is a retrating step with regard to land reformy and such a conferment of tenancy right is agaist to baric spirit of this spend legishion."

(ग) आर आर डी 2018 पेज 715 सरजूराम बनाम अमृतलाल/पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018–

इस निर्णय में जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मंडल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

(घ) बग्गा बनाम सुरेन्द्र सिंह/माननीय राजस्व मंडल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990–

प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिवारी का कब्जा राज्य के विरूद्व प्रतिकूल नहीं हो जाता। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नही करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू–धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है।एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है।जो कुछ शर्तो के अध्याधीन है। यदि उन शर्तो में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

इस प्रकार उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी अपने पक्ष में उपयुक्त तलबी को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः उक्त तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादीगण निर्भीत की जाती है।

<u>(2) वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में प्रतिवादी कमांक 2 से 4 द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में निष्पादित हस्तांतरण मानने के लिए प्रतिवादी संख्या 02 से 04 बाध्य है?</u>

–जिम्मे वादी–

उक्त तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। हम प्रथम तनकी में विवेचना पूर्ण कर चुके है कि इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय की कोई अधिकारिता/क्षेत्राधिकार नही है। साथ ही इकरारनामें के विचारण का अधिकार न्यायालय हाजा को नही होकर, सक्षम सिविल न्यायालय को है। अतः इकरारनामें को एवं इकरारनामें के आधार पर निष्पादित हस्तांतरण को निर्णित करने का विषय सक्षम सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय Specific performance act के प्रकरणों के विचारण की अधिकारता नही रहती है।

अतः उपर्युक्त तनकी को न्यायालय हाजा में वादी साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>(3) वादी द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा कूटरचित होने से शून्य?</u>

–जिम्मे प्रतिवादी–

चुंकि विवाद्यक संख्या 01 एंव 02 में विस्तार से इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के तथ्य को विवेचित किया जा चुका है। प्रतिवादी का यह कथन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत ईकरारनामा कूटरचित होने से शून्य है, के संबंध में हमारा यह विनम्र अभियत इकरारनामें के प्रकरणों की अधिकारिता सक्षम सिविल न्यायालय [illegible] राजस्व न्यायालय यह नही विचारित कर सकता है कि प्रस्तुत ईकरारनामा कूटरचित है या शून्य [illegible] इकरारनामें से संबंध सभी प्रकार के तथ्यों को न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर है। [illegible] तनकी को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में न्यायालय हाजा में असफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

<u>(4) इकरारनामें की वैधता का विचारण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से इस न्यायालय में यह वाद चलने योग्य नही है?</u>

22/12/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

–जिम्मे प्रतिवादी–

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। चूंकि पूर्व विवेचित विवाद्यक संख्या 01 से 03 में इस तथ्य को विस्तार से विवेचित किया जा चुका है कि इकरारनामें पर विचारण का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है। ईकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय(न्यायालय हाजा) को विचारण का कोई क्षेत्राधिकार नही है क्योंकि इकरारनामें में प्रकरणों को Specific performance act के तहत सक्षम सिविल न्यायालय ही विचारण कर सकता है, और राजस्व न्यायालय काश्तकारी अधिनियम के तहत ही प्रकरणों/वादों का विचारण कर सकता है। अतः उक्त तनकी को प्रतिवादीगण साबित करने में पूर्णतः सफल रहे है। अतः उक्त विवाद्यक संख्या 04 बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

<u>(5) प्रतिवादी, वादी से विशेष हर्जाने के 3000/— रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है?</u>

—जिम्मे प्रतिवादी—

विवाद्यक संख्या 01 से 04 से यह स्पष्ट है कि हस्तगत वादपत्र न्यायालय हाजा के द्वारा श्रवणीय नही है अर्थात् इकरारनामें से संबंधित वाद सक्षम सिविल न्यायालय में ही सुनने योग्य है। इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः उक्त तनकी में विशेष हर्जाने के संबंध में हमारा यह विनम्र अभियत है कि वादी/प्रतिवादी भविष्य में उक्त इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नही करें, यदि भविष्य में उक्त वादग्रस्त आराजी से संबंधित उक्त इकारारनामें के आधार पर कोई वाद राजस्व न्यायालय (न्यायालय हाजा) में प्रस्तुत किया जाता है तो उस परिस्थिति में विशेष हर्जाने का प्रावधान वादी पर लागू होगा।

अतः उक्त तनकी विरूद्व वादी आंशिक बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

(6) अन्य अनुतोष?

चूंकि विवाद्यक 01 से 05 को विस्तारपूर्वक विवेचित किया जा चुका है अतः अन्य कोई अनुतोष प्रदान करना हम उचित नही समझते है।

—:: आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद, वादी अंतर्गत धारा 88,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 तत्कालीन राजस्व मौजा गडरा (धोरीमना) के खसरा संख्या 296 रकबा 67—01 बीघा किस्म बारानी सोयम, न्यायालय हाजा में इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद बखूबी साबित नही होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

22/12/23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना, जिला बाड़मेर — सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक— 22/12/23 को ओपन कलास में सुनाया गया।

22/12/23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :—श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

वादी

1. ठाकराराम पुत्र आईदानराम, जाति विश्नोई,निवासी गडरा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चेनाराम पुत्र आईदानराम
2. हरचन्दराम पुत्र आईदानराम के कायम मुकाम
   (क) किसनाराम पुत्र हरचन्दराम
   (ख) बाबू पुत्र हरचन्द
   (ग) सुवटी बेवा हरचन्द
3. दयाराम पुत्र आईदानराम
4. केसरीमल पुत्र आईदानराम के कायम मुकाम
   (क) जगदीश पुत्र केसरीमल
   (ख) राम प्यारी पुत्री केसरीमल
   (ग) अशोक पुत्र केसरीमल
5. रंगु देवी पुत्री आईदानराम के कायम मुकाम
   (क) जगदीश पुत्र हरीराम,माता रंगू जाति विश्नोई निवासी सोनडी।
6. श्रृंगारी पुत्री आईदानराम जाति विश्नोई निवासी हापू की ढाणी भालनी तह. भीनमाल।
7. लुंगीदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी देवीचन्द निवासी हापू की ढाणी भीनमाल।
8. गंगादेवी पुत्री आईदानराम पत्नी बुधराम जाति विश्नोई निवासी नगर गुड़ामालानी।
9. अमरूदेवी पुत्री आईदानराम पत्नी रूघनाथ जाति विश्नोई निवासी हापू की ढाणी भीनमाल।
10. प्रबन्धक ग्रामीण विकास बैंक शाखा धोरीमना।
11. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर नया :— 11/2016

पुरानाः— 128/2001

दावा बाबत् :— राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादीनी वकील उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद, **वादी अंतर्गत धारा 88,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 तत्कालीन राजस्व मौजा गडरा (धोरीमना) के खसरा संख्या 296 रकबा 67–01 बीघा किस्म बारानी सोयम, न्यायालय हाजा में इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद बखूबी साबित नही होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।**

नीज...............–................मुबलिक....................–..............बाबत्.....–..........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.............को अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22/12/23 .... को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

22/12/23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested